यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, देहरादून** के माह अगस्त 2014 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 23-04-2018 से 08-05-2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 07-08-2014 से 16-08-2014 तक श्री महेंद्र तिवारी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 07/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2014 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक स्तर के उत्थान हेतु शोध एवं प्रशिक्षण कराया जाना है।

(ii) (अ) विगत चार वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	2202	616.11	563.34	52.77	52.77
2015-16	2202	568.43	558.51	9.92	9.92
2016-17	2202	745.47	698.04	47.43	47.43
2017-18	2202	936.04	874.10	61.94	61.94
Total		**2866.05**	**2693.99**	**172.06**	**172.06**
2014-15	Sarva shiksha abhiyan (SSA)	-	-	-	-
2015-16	SSA	13.00	9.93	3.07	3.07
2016-17	SSA	5.00	4.98	0.02	0.02
2017-18	SSA	5.00	5.00	-	-
Total		**23.00**	**19.91**	**3.09**	3.09
कुल योग		**2889.05**	**2713.90**	**175.15**	**175.15**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `		व्यय		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		GoI	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**
2014-15	Centrally Sponsored Scheme (CSS) /Teachers TrainingYojna (TTY)	112.265	37.43	98.83	3.34	-	20.525	-	-
2015-16	CSS/TTY	118.25	13.14	56.57	6.28	-	68.544	-	
2016-17	CSS/TTY	166.97	18.55	166.44	18.49	-	0.59	-	-
2017-18	CSS/TTY	226.80	25.20	226.78	25.20	-	0.02	-	-
योग:		**624.285**	**94.32**	**548.62**	**53.31**	**-**	**89.679**	**-**	**-**
2014-15	National Population Education Programme (NPEP)	3.50	-	3.20	-	0.30	-	0.30	-
2015-16	NPEP	3.00	-	2.92	-	0.08	-	0.08	-
2016-17	NPEP	4.00	-	4.35	-	(-)0.35	-	(-)0.35	-
2017-18	NPEP	4.50	-	4.05	-	0.45	-	0.45	-
योग		**15.00**	**-**	**14.52**	**-**	**0.48**	**-**	**0.48**	**-**
कुल योग		**639.285**	**94.32**	**563.14**	**53.31**	**0.48**	**89.679**	**0.48**	**-**

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **पृष्ठ 518** पर संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **सितम्बर 2016 एवं फ़रवरी 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शैक्षणिक सर्वेक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण मे शिक्षकों का प्रभाव तथा राज्य स्तरीय अकादमिक सर्वेक्षण योजनाओ का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (अ)

प्रस्तर 1:- निर्माण कार्यो के सापेक्ष रु 891.58 लाख का अलाभकारी व्यय तथा ठेकेदार के साथ अनुबंध समाप्ति के 15 माह के उपरांत एवं योजना के पुनरीक्षण प्रस्ताव के बावजूद कार्यदायी संस्था को रु 74.00 लाख निर्गत किया जाना।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखंड देहरादून के द्वारा संकलित प्रस्ताव (अक्टूबर 2012) के आधार पर भारत सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के अनावर्ती मद से अनुमोदित निर्माण कार्य[1] कराये जाने थे। निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य के 07 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के निर्माण कार्यो हेतु रु 273.00 लाख अनुमोदित किया गया था। पुनः वर्ष 2015-16 मे मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, भारत सरकार के द्वारा 07 डायट के निर्माण कार्यो (चंपावत को छोडकर) हेतु रु 1000.00 लाख की स्वीकृति देते हुए केंद्र के हिस्से की 90 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त के रूप मे 50 प्रतिशत की राशि रु 450.00 लाख निर्गत की गयी थी (दिसंबर 2015)। निर्गत राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रयुक्त करते हुए अनुपयुक्त राशि को वापस करना था अन्यथा की दशा मे अनुमोदन लिया जाना था।

इकाई की लेखा परीक्षा (मई 2018) मे देखा गया कि इकाई द्वारा प्रदत्त व्यय विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कार्यो के विरुद्ध कुल राशि रु 891.58 लाख निर्गत की जा चुकी थी तथा प्रगति विवरण के अनुसार सभी निर्माण कार्य प्रगति पर थे। केंद्र से दिसम्बर 2015 मे प्राप्त राशि राज्य सरकार द्वारा 11 माह विलंब से अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 मे दो किश्तों[2] मे निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून को जारी की गयी थी। कार्यो मे विलंब के कारण देहरादून एवं चंपावत के निर्माण कार्यो के लागत का पुनरीक्षण प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे, जो शासन स्तर पर लंबित थे ।

कार्यो की स्वीकृति के पाँच वर्ष की अवधि के बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे, कार्यो के सापेक्ष मार्च 2018 तक उनके आगणन की 56 प्रतिशत धनराशि निर्गत की जा चुकी थी। विलंब के कारण कार्यो के निर्माण लागत मे वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि दो कार्यो का आगणन पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत भी किया जा चुका है। इन प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन मे निम्न कमियाँ थी:

---

[1] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो (i) पिथौरागढ़: तारबाड़ का निर्माण लागत रु 11.09 लाख, (ii) अल्मोड़ा : हॉस्टल निर्माण लागत रु 293.85, (iii) देहरादून : हॉस्टल निर्माण लागत रु 190.08 लाख , (iv) हरिद्वार : चहार दीवारी की मरम्मत अति लघु निर्माण कार्य लागत रु 19.70 लाख , (v) टिहरी : अतिरिक्त 02 कक्षा कक्ष का निर्माण लागत रु 15.33 लाख , (vi) उधमसिंह नगर : भवन निर्माण लागत रु 497.40 लाख (vii) वागेश्वर : भवन निर्माण लागत रु 337.58 लाख एवं (viii) चंपावत : भवन निर्माण लागत रु 237.17 लाख, कार्यो की कुल लागत रु 1602.20 लाख।

[2] नवम्बर 2016: रु 450.00 लाख तथा मार्च 2017: 50.00 लाख

- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा 11 माह के विलंब से अगले वित्तीय वर्ष मे राशि निर्गत की गयी थी।
- डायट, देहरादून द्वारा कार्यदाई संस्था निर्माण खंड, पी डब्लू डी, देहरादून को लिखा गया था (नवम्बर 2017) कि संस्थान के छात्रावास निर्माण हेतु रु 190.08 लाख की स्वीकृति (मार्च 2013) के सापेक्ष निर्गत राशि रु 112.02 लाख[3] था परंतु पुरानी स्वीकृति के सापेक्ष ठेकेदार का अनुबंध समाप्त हो चुका है[4] । अतः वर्तमान दरो पर पुनरीक्षित आगणन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। सितम्बर 2015 मे ठेकेदार से अनुबंध समाप्त हो जाने के 15 माह के उपरांत भी कार्यदायी संस्था[5] को परिषद से रु 74.00 लाख निर्गत (जनवरी, मार्च 2017) किए जाने का औचित्य असपष्ट था।
- डायट टिहरी मे दो कक्षा कक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 मे प्राप्त धनराशि रु 1.53 लाख एवं 2016-17 मे रु 10.32 लाख निर्गत किए गए थे परंतु भूमि की उपलब्धता न होने के कारण निर्गत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था। इस प्रकार डायट टिहरी मे रु 11.85 लाख अनुपयोगी पड़ा हुआ था (मई 2018)।
- डायट हरिद्वार मे 100 मीटर के सापेक्ष मात्र 40 मीटर चहार दीवारी का कार्य कराया गया, अतः कार्य पर हुए व्यय रु 15.88 लाख अलाभकारी था इस मद मे हुए व्यय का विवरण तथा कम मात्रा मे कार्य के सम्पादन का कारण पत्रावली मे उपलब्ध नहीं था।

अतः रु 1602.20 लाख की लागत से प्रस्तावित आठ निर्माण कार्यो के सापेक्ष रु 891.58 लाख डायट को निर्गत किए जाने के उपरांत भी कार्यो के सभी कार्य अपूर्ण थे तथा देहरादून डायट में निर्माण सम्बन्धी ठेकेदार के साथ अनुबंध समाप्ति के 15 माह के उपरांत भी कार्यदायी संस्था को रु 74.00 लाख निर्गत किया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 2018) मे इंगित किया जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया कि ठेकेदार के साथ अनुबंध समाप्त होने की सूचना कार्यदायी संस्था के द्वारा मार्च 2017 मे प्राप्त हुई उसके पूर्व ही धनराशि निर्गत की जा चुकी थी। अन्य डायटो मे संपादित कम कार्यो के बारे मे इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार किया गया। इससे लेखापरीक्षा आपित्त की पुष्टि होती है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[3] 2012-13: रु 19.01 लाख, 2014-15: रु 19.01 लाख जनवरी 2017: रु 69.00 लाख मार्च 2017: रु 5.00 लाख, इस प्रकार कुल रु 112.02 लाख

[4] अधिशासी अभियंता के संस्तुति दिनांक 22.09.2015 के आधार पर अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 15/10/2015 के द्वारा

[5] निर्माण खंड , लोक निर्माण विभाग, देहरादून

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 2:- विज्ञान महोत्सव के बिलों मे त्रुटिपूर्ण समायोजन रु 1.00 लाख

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखंड के निर्देशन मे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रतिवर्ष विद्यालयी शिक्षा से अछादित विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक एवं अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विज्ञान महोत्सव का आयोजन करती है। विज्ञान महोत्सव मे समाहित सभी गतिविधियों का आयोजन विकासखंड, जनपद एवं राज्य स्तर पर किया जाता है।

इकाई की लेखापरीक्षा (मई 2018) मे अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि वित्तीय वर्षो 2014-15 से 2017-18 के दौरान इस मद मे प्राप्त राशियों का विवरण निम्नवत था:

(रु लाख मे)

वित्तीय वर्ष	प्राप्तियाँ			व्यय		जिलों को प्रेषित	अवशेष
	एन सी आर टी से	राज्य से	अन्य (UCOST)	संगोष्ठी	विज्ञान महोत्सव		
2014-15	2.10	11.90	0.78	0.65	12.23	1.90	0.00
2015-16	2.40	10.90	0.00	0.65	10.75	1.90	0.00
2016-17	1.30	13.60	0.00	0.70	12.26	1.90	0.04
2017-18	0.00	28.00	0.00	0.87	14.13	13.00	0.00
योग	**5.80**	**64.40**	**0.78**	**2.87**	**49.37**	**18.70**	**0.04**

व्यय विवरणो की जांच मे देखा गया कि मेसर्स संजना इंटरप्राइजेस, देहरादून के प्रस्तुत बिल क्रमांक 608 दिनांक 10.12.2015 जिसकी राशि रु 2.45 लाख थी तथा रु 1.00 लाख का अग्रिम था तदोपरांत रु 1.45 लाख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। संदर्भित बिल पर उपरिलेखन कर अग्रिम की दर्शाई गयी राशि को समायोजित किए बिना फर्म को रु 2.45 लाख का भुगतान कर दिया गया था, इससे फ़र्म को रु 1.00 लाख का अधिक भुगतान प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा (मई 2018) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा किया गया है तथा प्राप्त देयकों के सापेक्ष उनका समायोजन किया गया है। भविष्य मे देयकों पर उपरिलेखन नहीं किया जाएगा।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट नहीं था कि फ़र्म को रु 1.00 लाख का किया गया अग्रिम भुगतान समायोजित था अथवा नहीं अतः उत्तर मान्य नहीं है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

प्रस्तर 2:- "राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे" (नैस) के बिलों के समायोजन मे समरूपता का न पाया जाना तथा निर्देशों के विरुद्ध मानदेय मद मे व्यय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शासकीय व शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 3, 5 एवं 8 के छात्रों मे अधिगम उपलब्धियों के सर्वे हेतु "राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे" (नैस) नियोजित करता है। "छात्र क्या जानता है व क्या कर सकता है" इसको दृष्टि मे रखते हुए नैस 2017 नियोजित किया गया (दिसम्बर 2017)। इसके सम्पादन हेतु रु 104.00 लाख की राशि निर्गत की गयी थी (सितंबर 2017)। कार्य के सम्पादन हेतु राज्य के प्रत्येक 13 ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को रु 5.50 लाख[6] निर्गत किए गए थे। निर्गत राशि को समस्त डायट को नैस के सम्पादन हेतु सॉफ्टवेर क्रय, प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, एफ आई (field investigator) मानदेय, आकस्मिक व्यय तथा अन्य व्यय के रूप मे व्यय किया जाना था। एफ आई को रु 200.00 प्रतिदिन की दर से छ दिनो हेतु मानदेय सह यात्रा भत्ता दिया जाना था।

इकाई की लेखापरीक्षा (मई 2018) मे डायट द्वारा प्रस्तुत समायोजन देयकों की जांच मे देखा गया कि रु 5.50 लाख प्रति डायट की दर से 13 डायटो को दिये राशि के समायोजन समरूप नहीं थे (अनुसूची अ) जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत थे:

- डायट के द्वारा गाड़ी बिल के मद मे किया गया व्यय उनके द्वारा प्रस्तुत कुल व्यय समायोजन का 2 से 59 प्रतिशत था।
- एफ आई के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय प्रस्तुत कुल व्यय समायोजन का 05 से 26 प्रतिशत था।
- एफ आई के यात्रा भत्ता एवं मानदेय मद मे व्यय प्रस्तुत कुल व्यय समायोजन का 3 से 70 प्रतिशत था।
- उत्तरकाशी एवं नैनीताल जिले द्वारा एफ आई को यात्रा भत्ता एवं मानदेय दोनों मदों मे अलग- अलग भुगतान किया गया था, जबकि निर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता सह मानदेय का भुगतान रु 200.00 प्रतिदिन की दर से किया जाना था।

उक्त से स्पष्ट था कि डायटो द्वारा किया गया व्यय विवरण अस्पष्ट एवं औचित्यहीन था जिसकी पुष्टि निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून के पत्र (30 जनवरी 2018) से भी होता है।

लेखापरीक्षा (मई 2018) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जनपदो मे विकास खंडो की भिन्न संख्या एवं दरो के अलग अलग होने के कारण अंतर स्वाभाविक है एवं टी ए तथा मानदेय अलग अलग है। टी ए एवं मानदेय अलग अलग नहीं है उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एन सी ई आर टी के निर्देशानुसार टी ए एवं मानदेय रु 200/- प्रतिदिन की दर से दिया जाना था।

---

[6] रु 1.00 लाख सितम्बर 2017 मे, रु 3.00 लाख अक्तूबर 2017 तथा रु 1.50 लाख नवम्बर 2017 मे।

अतः डायट द्वारा प्रस्तुत समायोजन जो कि रु 5.50 लाख प्रति डायट की दर से था, में असमानता थी जिसे निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा भी इंगित किया गया था। असमान व्यय विवरण संग्रहित आंकड़ों की शुद्धता एवं विश्लेषण की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप में इंगित करता है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर 4:- **₹ 2,25,375/- के समायोजन वाउचर्स उपलब्ध न होना।**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखंड, देहरादून मे क्षमता अभिवर्धन कार्यशाला दिनांक 29-01-2018 से 02-02-2018 का आयोजन किया गया था जिस हेतु क्षेत्रीय

शिक्षा संस्थान (आर॰आई॰इ॰) अजमेर, द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा (रमसा) के खाता सं॰ 602402010006797 मे दिनांक 25.01.2018 को ₹ 2,25,375/- उक्त कार्यशाला आयोजित कराने हेतु जमा कराया गया था। उक्त कार्यशाला से संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया कि पत्रावली मे केवल व्यय से संबन्धित साक्ष्य उपलब्ध था किन्तु व्यय से संबन्धित कोई वाउचर्स/बिल नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर॰आई॰इ॰) अजमेर द्वारा उक्त धनराशि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस॰सी॰इ॰आर॰टी॰) उत्तराखंड, देहरादून को व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी थी कार्यशाला आयोजन पर व्यय परिषद द्वारा किया गया था किन्तु संबन्धित वाउचर्स/बिल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर से आये हुये लायब्रेरियन श्री बी॰ के॰ झा, अपने साथ ले गये थे।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यशाला आयोजन पर व्यय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, देहरादून द्वारा किया गया था अत: व्यय से संबन्धित बिल/वाउचर रखना एस॰सी॰इ॰आर॰टी॰ का दायितत्व था। अत: ₹ 2,25,375/- का प्रकरण उच्चाधिकारिओं के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
73/2014-15 38/2011-12 27/2007-08	इकाई द्वारा पूर्व मे सचिव को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं थी, इस संबंध मे पुनः प्रेषित करने हेतु कहा गया है।	(पृष्ठ 770)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		उपरोक्तानुसार		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अपर निदेशक एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा॰ आर॰ डी॰ शर्मा	अपर निदेशक	01-02-2014 से 31-07-2015॰
2.	श्रीमती गीता नौटियाल	अपर निदेशक	31-07-2015 से 31-05-2016॰
3.	श्रीमती कंचन देवरडी	अपर निदेशक	01-06-2016 से 27-06-2016॰
4.	श्री एस॰ बी॰ जोशी	अपर निदेशक	27-06-2016 से 03-10-2016॰
5.	श्रीमती वंदना गर्ब्याल	अपर निदेशक	03-10-2016 से 19-05-2017॰
6.	श्री अजय कुमार नौडियाल	अपर निदेशक	19-05-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अपर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. देहारादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.